प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 28.10.2025**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अकरम पुत्र असलम निवासी टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अकरम का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 655/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 567/2025 धारा 2(बी) (xv)3 गैगंस्टर अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0-1027/22 धारा 465 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 475 करतार सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 540 राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 28.10.2025**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 445/2025 धारा 351(2)/308(2)/64(1)/ बीएनएस व 67 आईटी अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 445/2025 धारा 351(2)/308(2)/64(1)/ बीएनएस व 67 आईटी अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महताब खान पुत्र यासीन निवासी किशनपुर बिराल जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-मय का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-का0 443 रामेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 28.10.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2025 को वादी श्री प्रवेन्द्र उर्फ भुट्टू पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम बदरखा, थाना छपरौली, जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर लिखित तहरीर दी गई कि बच्चों द्वारा पटाखे जलाने के विवाद से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों 1-मेहरूद्दीन, 2. यामीन, 3. सलीम, 4. वसीम, 5. शादीन, 6. इस्लाम, 7. समीर पुत्र इस्लाम, 8. सैम पुत्र इस्लाम, 9. सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ, 10. आश मोहम्मद पुत्र सादा, 11. आश पुत्र सादा, 12. आसिफ पुत्र सादा, 13. चैपी पुत्र सादा, 14. प्रवीन पुत्र इस्लाम, 15. 02 महिला तथा अन्य अज्ञात अभियुक्त समस्त निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे, तबल व अन्य हथियार लेकर वादी के घर में घुस गए । अभियुक्तों द्वारा वादी एवं उसके परिजनों के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट, गाली-गलौज की गई, जिससे वादी प्रवेन्द्र, उसका भाई अरविन्द, पिता करण सिंह, माता, पत्नी एवं भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए । मारपीट के दौरान वादी के पिता के दाहिने पैर एवं वादी के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/ 352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में पूर्व में 02 अभियुक्ता सहित अन्य 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार बागपत में निरुद्ध किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मेहरदीन पुत्र बारु नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-चैपी उर्फ शाकिब पुत्र सादा उर्फ शमशाद नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-आसिफ पुत्र सादा उर्फ शमशाद नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-का0 411 पीयूष थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 28.10.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109/324(2) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.10.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री संजय पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.नीतीश पुत्र कृष्णपाल, 2.कृष्णपाल पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत तथा दो अज्ञात व्यक्ति जिनमें से नितीश पुत्र कृष्णपाल द्वारा उसकी गाडी बुलेरो नं0 UP-17BT-1690 पर सामने वाले शीशे पर ईंट से वार किया तथा उस पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से कई राउण्ड फायर किए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 331/25 धारा 109/324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109/324(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सिद्धार्थ उर्फ वीशु पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर।**

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 218/25 धारा 25/5 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109/324(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री युद्ववीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
3-है0का0 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
4-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
5-है0का087 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 28.10.2025**

थाना रमाला पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 306/2025 धारा 4/10 गुण्डा एक्ट व 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र संजीव नि0 बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-228/22 धारा 380/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0-15/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0-115/23 धारा 379/380/411 भादवि व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0-303/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0-91/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0-128/25 धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

7-मु0अ0सं0-36/23 धारा 380/427 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

8-मु0अ0सं0-63/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

9-मु0अ0सं0-75/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-हो0गा0 535 राहुल शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनांक 28.10.2025**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 296/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/103(1) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.10.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री अमित पुत्र बलवीर निवासी पट्टी मेघान, ग्राम किरठल, थाना रमाला, जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-विकास पुत्र कृष्ण, 2-राजीव पुत्र कृष्ण, 3-सूरज पुत्र ओमपाल, 4-कृष्ण पुत्र सुखवीर उर्फ सुक्खा निवासीगण ग्राम किरठल, थाना रमाला, जनपद बागपत व 5-अंशू पुत्र प्रदीप निवासी रोशनगढ़, थाना बालैनी, जनपद बागपत ने एक राय होकर वादी तथा वादी के पुत्र के साथ मारपीट की तथा वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया, जिससे वादी का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया और अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। घायल को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी बड़ौत ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 296/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 296/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/103(1) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन व विवेचना के आधार पर धारा 109(1) बीएनएस की बृद्धि की गयी है तथा दिनांक 19.10.2025 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार बागपत में निरुद्ध किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 296/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/103(1)/109(1) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 305/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

2-हमराह है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-है0का0 807 सचिन कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।